संख्या- 25/659/24-1-15-1059/2006

प्रेषक,

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2015**

विषय:- अनपरा डी 2 500 मेगावाट के विस्तार हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, के पत्र संख्या- 69/उ0नि0लि0/मु0म0प्र0(वित्त), दिनांक 20.03.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनपरा डी 2 500 मेगावाट के विस्तार हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राविधानित धनराशि रूपये 51,75,50,000/- (रूपये इक्यावन करोड़ पच्चहत्तर लाख पचॉस हजार मात्र) को आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा तथा तिथि की सूचना तत्काल ऊर्जा अनुभाग-1 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी, जिस परियोजना की स्थापना हेतु स्वीकृत की गयी है।

(3) उपर्युक्त धनराशि का आहरण के बाउचर संख्या तथा तिथि की सूचना मिलान कार्य हेतु तत्काल शासन को तथा निर्धारित प्रारूप पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- स्वीकृति धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम सग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या- 42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम अधिकारी द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा बिल को प्रतिहस्ताक्षार हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। देयक के साथ परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा परियोजना हेतु वित्तीय संस्थाओं से आहरण के ऋण की सूचना शासन को उपलब्ध करायी।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहॉ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृति धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक " 4801-बिजली परियोजना पर पूॅजीगत परियोजना परिव्यय- आयोजनागत-02-ताप विद्युत शक्ति उत्पादन-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-11-उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम की अनपरा 'डी' 2 500 मेगावाट विस्तार हेतु अंशपूॅजी-30-निवेश/ऋण " के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के शासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0- 54/दस-2015, दिनांक 24 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-25/659(1)/245-1-15, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. **महालेखाकार, उ0प्र0 (एल0ए0 सेक्शन-3), इलाहाबाद।**
2. **महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0 छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।**
3. **मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।**
4. **वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1**
5. **राज्य योजना आयोग-1**
6. **संबंधित सहायक/गार्ड बुक।**

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in